न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.
पीटासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल जाट निवासी नगवाड़ा तह. नांवा		1. मोहनराम पुत्र भूराराम जाट निवासी नगवाड़ा तह. नांवा 2. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील वादी
श्री राजेश कुमावत वकील प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर 136/2017 निर्णय दिनांक :– 26.02.2018

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नगवाड़ा के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टयर स्थित हैं उक्त भूमि में के तत्कालीन खातेदार धीसाराम, भोमाराम पुत्र रामूराम जाट निका 1/2 हिस्सा बनता हैं उन्होने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जिसमें 0.44 हैक्टयर भूमि को मुझ वादी को व 0.16 हैक्टयर प्रतिवादी 1 मोहनराम को कर दिया व कब्जा सम्भला दिया उक्त विक्रय पत्र कराते समय टंकणीय भलवश दस्तावेज में बजरंगलाल पुत्र बनाराम अंकित हो गया जबकि बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल होना चाहिऐ था जो टंकणीय भूलवंश वल्दीयत गलत अंकित लिख दी गई बनाराम व बनवारीलाल दोनों एक ही व्यक्ति वादी के पिता का नाम हैं जिसकी जानकारी वादी को कृषि अनुदान प्राप्त करने हेतु जाने पर जानकारी में आया वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में पिता का नाम बनवारीलाल होने एवं जमाबन्दी में बनाराम होने से अनुदान नहीं देने के कारण यह वाद पैदा हुआ है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम नगवाड़ा के खसरा नम्बर 170 में दर्ज बजरंगलाल पुत्र बनाराम के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल घोषित करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 जो उक्त विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुऐ इकबालिया जवाब पेश किया हैं तथा 2 का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)

एक पक्षीय कार्यवाही की गई है वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में ग्राम नगवाड़ा के खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि देउदेवी उर्फ मोहरी पत्नी मोहनलाल, विमलादेवी पत्नी बंशीलाल जाट सा. दलतपुरा जिला सीकर हिस्सा 1/12, घीसाराम, भोमाराम पि. रामूराम 1/2 हिस्सा पन्नाराम पुत्र उदाराम 1/4, ना.बा दर्ज रिकार्ड है। खातेदार घीसाराम, भोमाराम पि. रामूराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 646 दिनांक 06.06.2013 को मोहनराम पुत्र भूराराम 0.16 हैक्टयर एवं बजरंगलाल पुत्र बनाराम हिस्सा 0.44 हैक्टयर भूमि दर्ज रिकार्ड की गई है। बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं एवं अन्य दस्तावेज पेश किऐ हैं। जिसके अनुसार वादी ने उक्त विवादित भूमि में 0.44 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद किया जाना साबित होता हैं तथा अन्य शैक्षिणीक दस्तावेजा आदि में वादी के पिता का नामा बनवारीलाल अंकित हैं बैचान दस्तावेज में टंकण की गलती से बनाराम अंकित होना बताया हैं जिसको उक्त भूमि एवं बैचान दस्तावेज के सह खातेदार मोहनराम ने स्वीकार किया हैं तथा वादी के पिता का सही नाम बनवारीलाल होना बताया हैं जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम नगवाडा के खसरा नम्बर 170रकबा 1.20 हैक्टयर भूमि में दर्ज बजरंगलाल पुत्र बनाराम जाट हिस्सा 0.44 हैक्टयर के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट हिस्सा 0.44 हैक्टयर घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिकी पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा